नोट शीट

31/01/18 प्रार्थना पत्र पुष्टि वादी व प्रतिवादी के पुत्र हैं। वादी व प्रतिवादी के बीच कोई समझौता नहीं। वादी व प्रतिवादी एवं वादी पक्ष को अधिकार नहीं होगा। प्रार्थना इसी तरह पर किया जाता है। प्रार्थना पत्र व अन्य सामग्री के अभिलेख की जाती है। प्रार्थना पत्र में वाद हल्का प्रतिवाद प्रस्तुत है।

उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official